तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
11.2.25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य में तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 5.5.25 को पेश हो।
5/5/25	पत्रावली पेश हुई वादीया वकील उप० । वादीया वकील द्वारा सम्मन अखबार में छापा करवाकर अखबार/पत्रिका दैनिक नवज्योति दिनांक 30.8.2023 पेश किया गया था जो शामिल मि० किया जावे। बावजूद उक्त सूचना के प्रतिवादी संख्या 4 अनुपस्थित रहा जिससे उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। बहस वादीया अधिवक्ता एकपक्षीय सुनी गयी। बाद बहस पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों के अध्ययन से पत्रावली में निर्णय सुनाया गया जो पृथक से लिखाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
3/7/25	प्रार्थीया संतरा धाकड़ के अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी द्वारा प्रस्तुत प्रा. प. बाबत डिक्री पर्चा में लिखा 5/8 के स्थान पर 5/18 संशोधन फरमाने बाबत पर पत्रावली आज तारीख पेशी में तलब की गयी। डिक्री पर्चा दिनांक 5/5/25 का अवलोकन किया गया पाया कि डिक्री में संशोधन से 5/18 के स्थान पर की जगह 5/8 लिखने में आ गया जिसे सुधार कर गोला कर 5/8 के स्थान पर 5/18 किया गया। पत्रावली बाद संशोधन

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पुनः फाइल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

दायर दिनांक: 24.08.2021

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

-पत्र संख्या :–105/2021

CMS NO:- 2021/238

संतरा पत्नी जगदीश जाति धाकड नि0 बामनगांव तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।

–वादीया

बनाम

1. जगदीश आ0 बजरंगा जाति धाकड नि0 बामनगांव तहसील नैनवां।
2. रामेश्वर आ0 खाना जाति धाकड नि0 बामनगांव तहसील नैनवां।
3. सत्यनारायण आ0 खाना जाति धाकड नि0 बामनगांव तहसील नैनवां।
4. महावीर आ0 खाना जाति धाकड नि0 बामनगांव तहसील नैनवां।
5. लाडबाई पत्नी रामधन जाति धाकड नि0 बामनगांव तहसील नैनवां।
6. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा नैनवॉ परिवर्तित नाम एसबीआई बैंक शाखा नैनवॉ जर्ये शाखा प्रबंधक महोदय, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा नैनवॉ परिवर्तित नाम एसबीआई बैंक शाखा नैनवॉ तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
7. भूमिधारी राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।

–प्रतिवादीगण–

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 88,89,92ए,188 आर.टी एक्ट

उपस्थितिः–
वादीया की ओर से वकील श्री राजेन्द्र सिंह सौलंकी।
प्रतिवादी संख्या 3 व 5 की ओर से वकील श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया।

निर्णय दिनांक 05.05.2025

संक्षेप में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है यह कि ग्राम बामनगांव प0म0 बामनगांव तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0 में कृषि भूमि खसरा संख्या 2311 रकबा 2.3299 हैक्टयर स्थित है। यह भूमि वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2076–2079 के खाता संख्या नया 185 पुराना 179 के अनुसार खसरा नम्बर 2311 रकबा 2.3299 हैक्टयर दर्ज है जो प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत् 2064–2067 के खाता संख्या नया 152 व पुराना 237 के अनुसार खसरा नम्बर 2311 रकबा 14–08 बीघा भूमि प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 के संयुक्त खातेदारी अधिकार की थी जिसमे प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश का संयुक्त हि0 3/4, प्रतिवादीगण 2 लगायत 3 रामेश्वर व सत्यनारायण का संयुक्त हि0 3/14 एवं प्रतिवादी संख्या 4 महावीर का संयुक्त हि0 1/28 निहित था।

यह कि वाद–पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि मे प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 ने अपने संयुक्त हिस्सा 27/28 का 5/18 हिस्से की भूमि को यानि संपूर्ण भूमि के हिस्सा 135/504 को 30000 रूपये अक्षरे तीस हजार रूपये प्रतिफल स्वरूप वादिया के हक मे जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से दिनांक 01.08.2007 को बैचान कर उसी दिन मौके पर कब्जा संभलवा दिया था तब से वादिया अपने खरीदशुदा हिस्से की भूमि पर बतौर खातेदार काबिज रहकर लगातार खेती काश्त करती चली आ रही है तथा वर्तमान मे भी वादिया अपने हिस्से 135/504 की भूमि पर काबिज रहकर फसल बोती व काटती चली आ रही है। यह कि वादिया एक अनपढ महिला है जिससे वादिया के हक मे निष्पादित उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का अमल राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी मे नही होने की जानकारी हुई तो वादिया ने राजस्व कर्मचारीयों व प्रतिवादीगण से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का अमल राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने वादिया के नाम का अंकन राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करवाने से साफ इन्कार कर दिया तथा धमकी दी कि हम भूमि को जवरन रहन, बैचान व अन्य प्रकार से हस्तांतरित करके रहेंगे। साथ ही राजस्व अधिकारियों व कर्मचारीयों ने भी राजस्व रिकॉर्ड मे अमल करने से मना कर दिया। यही वाद का कारण है।

यह कि वादीया को अधिकार प्राप्त है कि वादीया को वाद–पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित विवरणानुसार प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 द्वारा अपने संयुक्त हिस्सा 27/28 का 5/18 हिस्स यानि संपूर्ण भूमि के 135/507 हिस्से की भूमि का वादिया के हक मे दिनांक 01.08.2007 को करवाये गए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर अपने आपको खातेदार घोषित करवाये और साथ ही राजस्व रिकॉर्ड मे अपने आपको जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से खरीदशुदा हिस्से की भूमि पर बतौर खातेदार

M

दर्ज रिकॉर्ड करवाये एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद फरमाया जावे कि वे वादीया के कब्जे काश्त, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावें। अपने वाद के समर्थन में वादी ने शपथ–पत्र, नकल जमाबन्दी वर्तमान, नकल जमाबन्दी संवत् 2064–2067, नकल जमाबन्दी संवत् 2068–2071, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.08.2007 मूल ही आदि पेश किये।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

वाद पत्र में वादिया व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 ने दिनांक 02.12.2021 को, वादिया व प्रतिवादीगण 3 व 5 ने दिनांक 20.04.2022 को राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 व 5 के मध्य राजीनामा हो गया है जिसके अनुसार दिनांक 01.08.2007 को वादिया के हक मे सत्यनारायण, जगदीश व रामेश्वर द्वारा जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पंजीबद्व करवाया था, का अमल दरामद वादिया के हक मे किया जावे तो उन्हे कोई आपत्ती नही होगी तथा साथ ही यह भी निवेदन किया कि उक्त खाते की भूमि पर उनके नाम की जो केसीसी दर्ज हो रही है, को चुकाने की जिम्मेदारी उनकी ही होगी।

हमने वाद–पत्र, शपथ–पत्र व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, जमाबन्दी व पक्षकारान 1 लगायत 3 व 5 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। बहस वाद पत्र सुनी गई। प्रतिवादीगण संख्या 4 व 6 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है तथा राजीनामा के आधार पर वाद डिक्री किये जाने में वादिया के साथ साथ प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 व 5 ने सहमती दी है। अतः मुताबिक राजीनामा व दस्तावेजों के प्रमाण से वादीया का वाद डिक्री किया जाता है। ग्राम बामनगांव पटवार मण्डल बामनगांव तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0 में कृषि भूमि खसरा संख्या 2311 रकबा 2.3299 हैक्टयर मे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा उनके संयुक्त हिस्सा 27/28 का 5/18 हिस्स यानि उक्त संपूर्ण भूमि का 135/504 हिस्से का अमल राजस्व अभिलेख मे किये जाकर इन्द्राज दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। डिक्री पर्चा जारी किया जाकर तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि आदेशानुसार अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जावें। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद किया जाता है कि वे वादी को उपरोक्त कृषि भूमि पर से बेदखल कर स्वयं कब्जा नही करे, वादी के कब्जे काश्त, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावें।

निर्णय आज दिनांक 05.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी
नैंनवाँ

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix D-1)

अज अदालत **न्यायालय उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **नैनवाँ** व इजलास **श्रीमती प्रीति मीणा**

पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती प्रीति मीणा

संतरा पत्नी जगदीश जाति धाकड नि0 बामनगांव।

–वादीया–

बनाम

1. जगदीश आ. बजरंगा जाति धाकड नि0 बामनगांव।
2. रामेश्वर आ0 खाना जाति धाकड नि0 बामनगांव।
3. सत्यनारायण आ0 खाना जाति धाकड नि0 बामनगांव।
4. महावीर आ0 खाना जाति धाकड नि0 बामनगांव।
5. लाडबाई पत्नी रामधन जाति धाकड नि. बामनगांव।
6. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा नैनवॉ परिवर्तित नाम एसबीआई बैंक शाखा नैनवॉ जर्ये शाखा प्रबंधक महोदय, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा नैनवॉ परिवर्तित नाम एसबीआई बैंक शाखा नैनवॉ तहसील नैनवॉ।
7. भूमिधारी राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब, नैनवॉ।

–प्रतिवादीगण–

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 88,89,92ए,188 आर.टी एक्ट

मुकदमा नं. **105 दावा 2021** सन् ....**2021**................यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ....**हमारे**...............बहाजरी वादी के अभिभाषक ....–.. मिनजानिव मुदई व श्री प्रतिवादी के अभिभाषक मिनजानिव मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

ग्राम बामनगांव पटवार मण्डल बामनगांव तहसील नैनवां जिला बून्दी की जमाबंदी संवत् 2064 से 2067 के खाता संख्या नया 152 पुराना 237 के खसरा संख्या 2311 रकबा 14 बीघा 08 बिस्वा मे से प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपने संयुक्त हिस्सा 27/28 का 5/8 हिस्से की भूमि वादीया संतरा के नाम बेचान कर दी थी, पर प्रतिवादीगण जगदीश, रामेश्वर व सत्यनारायण का उपर्युक्तानुसार संयुक्त हिस्सा 27/28 का 5/8 पर वादीया संतरा को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जावे। प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीया के हिस्से की भूमि पर अनुचित हस्तक्षेप न तो स्वयं करें और न किसी अन्य से ऐसा करवायें।

.... मुबलिग ....–........................ बाबत ....चीज ....–.................... ....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह ....–........................... ....–............................ ....–................ .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करे।

वसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **05** माह **05** सन्. **2025** को जारी की गई।

दस्तखत ....

ओहद ....

मुहर

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	–	–	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	–	–
मीजान	–	–		–	–

दस्तखत ....

ओहद ....

मुहर